

Annexure - II

FORM II

(For projects other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District

Collector Korba(CG)

No. 6751

Date 09-02-2018

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Governing body of District Mineral Development Fund decision for stabilise Education Hub Syahimudi, Block Katghora on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that of **Protected Forest Land P 533 area 4.34** hectare of forest land proposed to be diverted in favor of **Assistant Commissioner, Tribal Welfare Department Korba for Construction of Divyang and Balika Vidyalay at Syahimudi, Korba** within jurisdiction of **Block Katghora, Korba**.

It is further certified that :

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out from entire area **4.34 hectare of P 533** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forests Rights Committee(s) Mohalla Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 8**;
- (b) The proposal for such diversion (with full details of projects and its implications in vernacular/ local language) have been placed before each concerned **Mohalla Sabha, Syahimudi, Korba** of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned **Mohalla Sabha, Syahimudi** has certified that all formalities processes under the FRA have been carried out, and that they given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the **Mohalla Sabha, Syahimudi, Korba** is enclosed as **annexure 3 to annexure 6**;

- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of **Mohalla Sabha Syahimudi, Korba** present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the **Mohalla Sabha, Syahimudi, Korba** have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encls: Annexure 1 to 8.



(Mo. KAISER ABDUL HAQUE)
Collector
Korba (Chhattisgarh)

वार्ड वन अधिकार समिति (वार्ड क्रमांक 45) की बैठक दिनांक 07/13/18 दिन बुधवार का
कार्यवाही विवरण

स्थान:-सामुदायिक भवन स्याहीमुड़ी वार्ड क्रमांक -45

आज दिनांक 07/13/18 को वार्ड 45 स्याहीमुड़ी के श्री संजय कंवर की अध्यक्षता में मोहल्ला सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में मोहल्ला सभा एवं वार्ड वन अधिकार समिति के प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. वार्ड क्रमांक-45 स्याहीमुड़ी में आवेदक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा के द्वारा दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 4.34 हे. वन भूमि 10.85 एकड़ राजस्व वन भूमि कुल निरंक हे. वन भूमि की मांग गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत मोहल्ला सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 4.34 हे. 10.85 एकड़ दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर आदिवासी परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे. में)

अतः यह एकमत से मोहल्ला सभा में निर्णय लिया गया है कि 4.34 हे. वन भूमि 10.85 एकड़ राजस्व वन भूमि कुल 4.34 हे. वन भूमि की गैर वानिकी प्रयोजन हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरबा (आवेदक) को दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावें।

उपस्थित सदस्य गण

वार्ड पार्षद
स्याहीमुड़ी कोरबा



अध्यक्ष

वन अधिकार समिति वार्ड क्र.-45
नगर पालिक निगम कोरबा (छ0ग0)

- ① संतलाल
- ② धनरिंङ
- ③ धनश्याम दास
- ④ लालचरण दास
- ⑤ शीतलदास

सचिव

वन अधिकार समिति वार्ड क्र.-45
नगर पालिक निगम कोरबा (छ0ग0)

—::वार्ड वन अधिकार समिति के सदस्यगण एवं उनके हस्ताक्षर::—

क्र.सं.	नाम	पिता/पति	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह कुंवर	श्री बाबू लाल	मोहन
2	राज कुमार कुंवर	पिता लाल	राजकुंवर
3	पिरील राम अंगार	शंकर सिंह	पिरीलराम
4	पवन सिंह कुंवर	वैद्य सिंह	पवन
5	गीता कुंवर	लाल सिंह	गीता कुंवर
6	राम कुंवर कुंवर	धीर साहू	रामकुंवर
7	देव कुंवर कुंवर	वैद्य सिंह	देवकुंवर
8	रूज कुंवर कुंवर	धन सिंह	रूज कुंवर-कुंवर
9	काशी साहू	पी.एल. साहू	काशी
10	आशीष अग्रवाल	गुलाब अग्रवाल	काशी अग्रवाल
11	जनवारी आदित्य	स्व. भरत लाल	जिजा
12	काशी राम जयसवाल	स्व. रोहित	काशीराम
13	उमेश दास मंडल	दिलेश दास मंडल	उमेशदास

मोहल्ला सभा की बैठक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

क.	उपस्थित सदस्य	विषय	बैठक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुए	हस्ताक्षर
(6)	श्रीमान कुमारी	स्याहीमुड़ी विकास खण्ड कटघोरा वार्ड क्रमांक-45 में दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा के निर्माण के संबंध में कक्षा क्रमांक P533 हेक्टेयर (4.34 हे. 10.85 एकड़) के व्यपवर्तन किये जाने के संबंध में	आज दिनांक 07.12.18 को नगर निगम कोरबा वार्ड क्रमांक-45 स्याहीमुड़ी की मोहल्ला सभा की बैठक, सामुदायिक भवन स्याहीमुड़ी में वार्ड वन अधिकार अध्यक्ष श्री संजय कंवर की अध्यक्षता में समय 10.00 बजे आयोजित की गई है। जिस पर चर्चा के दौरान उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वार्ड क्र.-45 स्याहीमुड़ी में कलेक्टर कोरबा का पत्र क्रमांक 6049 दिनांक 22.01.2018 के आदेशानुसार दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु स्याहीमुड़ी स्थित कक्ष क्रमांक-P533 वन भूमि रकबा 4.34 हे. के गैर वाणिज्यी कार्य हेतु मांग की गई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी आदिवासी गैर परम्परागत वनवासी कृषि, कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे हैं न ही इन्हें वनभूमि का पट्टा दिया गया है। यह प्रस्तावित भूमि को दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी निर्माण हेतु प्रदाय के लिये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।	दिनांक 07.12.18 को मोहल्ला सभा में प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया एवं विचार विमर्श उपरांत उपस्थित सदस्यों के द्वारा मोहल्ला सभा में अनुमोदन किया गया है।	श्रीमान कुमारी अध्यक्ष कुमार राजेश्वर Nishank नाराय Kishan कंदुशराम राजेश कुमार Sudha Hanshu
(7)	श्रीमान कुमारी				
(8)	श्रीमान कुमारी				
(9)	श्रीमान कुमारी				
(10)	श्रीमान कुमारी				
(11)	श्रीमान कुमारी				
(12)	श्रीमान कुमारी				
(13)	श्रीमान कुमारी				
(14)	श्रीमान कुमारी				
(15)	श्रीमान कुमारी				